न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 20/2020

उनवान

1. रामदीन पुत्र सुवालाल जाति रेगर निवासी ग्राम रामयर, नसीराबाद
— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
— अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 26.1.21

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व उसके परिवार की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद में आस्थित है। जिसके हाल खसरा नम्बर 6955 रकबा 0.41 हेक्टेयर है। प्रार्थी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है।

उक्त आराजी में आने जाने का रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित नही है। किन्तु प्रार्थी अपने खातेदारी खेत पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 6952 का उपयोग प्रार्थी द्वारा कदीम से उपयोग किया जा रहा है। उक्त सिवायचक आराजी में से 15 फुट चौडा रास्ता प्रार्थी को दिलवाये जाने की कृपा करे। प्रार्थी के पास अपनी जोत तक पहुचने के लिये अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में भी अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 6955 पर आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। प्रार्थी अपने खेत से लगते हुये सिवायचक खसरा नम्बर 6952 रकबा 0.21 मे से 88 मीटर लम्बा 10 मीटर चौडा कुल 880 वर्ग मीटर व सिवायचक खसरा नम्बर 6951 रकबा 0.01 में से 10 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा कुल 50 वर्ग मीटर अर्थात कुल 930 वर्ग मीटर भूमि में रास्ता लेना चाहता है। चाहे गये मार्ग में किसी खातेदार की भूमि नही आती है। खसरा नम्बर 6952 की किस्म बीड व खसरा नम्बर 6951 की किस्म [illegible] है। उक्त खसरा नम्बर पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है।

उक्त रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख के अनुसार खसरा नम्बर 6955 प्राथी की खातेदारी में है। सिवायचक खसरा नम्बर 6952 की किस्म [illegible] खसरा नम्बर 6951 की किस्म गै0[illegible] है। प्रार्थी के पास अवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। पत्रावली में प्रार्थना [illegible] खण्डन हेतु कोई तथ्य नही है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यातिक आवश्यकता भी सिद्व होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:53:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कराने की है। मौका रिपोर्ट में भी कोई विपरित तथ्य प्रकट नही किया गया है। नुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "**स्वीकार**" किया जाता है। ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर रकबा 0.21 मे से 88 मीटर लम्बा 10 मीटर चौडा कुल 880 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 951 रकबा 0.01 में से 10 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा कुल 50 वर्ग मीटर अर्थात कुल 930 वर्ग मीटर भूमि में सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त आराजी की डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 41432/ अक्षरे इकतालीस हजार चार सौ बतीस रूपये प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में जमा कराने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:53:37 IST
Reason: SelfAttested